अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
अध्याय–2 (मैनुअल–1)

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्त्तव्य

1–लोक प्राधिकरण के उद्देश्य–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया गया है।

2–लोक प्राधिकरण का मिशन/विपन–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं का कार्यान्वयन इस विभाग का मुख्य कार्य है।

3–लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और गठन का प्रसंग–राज्य सरकार द्वारा मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समयन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–62, दिनांक–20.3.2007 द्वारा कल्याण विभाग को नये सिरे से तीन विभाग क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग का गठन किया गया है। इस प्रकार 01 अप्रैल 2007 से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

4–लोक प्राधिकरण के कर्त्तव्य– पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं–

(1) (क) अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृत्तिका प्रदान करना।
(ख) अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान।
(ग) अति पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना।
(घ) अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना तथा उनका प्रबंध करना।
(ड़) अति पिछड़ा वर्गों के लिए सहकारी समितियों का गठन।
(च) अति पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।

(2) (क) पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वृतिका प्रदान करना।
(ख) पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पुस्तकें एवं उपसाधनों के लिए अनुदान।
(ग) पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराना।
(घ) पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास खोलना तथा उनका प्रबंध करना।
(ड़) पिछड़ा वर्गों के लिए सहकारी समितियों का गठन।
(च) पिछड़ा वर्ग के फायदे के लिए काम करने वाली शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायक अनुदान।

3) बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

(4) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष गृह निर्माण योजनाएं।

(5) **लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य/कार्यक्षेत्र—**

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मुख्यालय स्तर गठित है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम—

शैक्षणिक योजनाएं—पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, महाविद्यालय एवं प्रावैधिकी संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र—छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क से छूट प्रदान करना तथा आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन करना आदि की योजनायें सम्मिलित है। इस विभाग द्वारा अति पिछड़ी जाति के छात्रों को विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा तथा इन्टर की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आवासीय विद्यालय—अन्य पिछड़े वर्गों के बालिकाओं के लिए 12 आवासीय कन्या उच्च विद्यालय स्वीकृत हैं। वर्ग 6 से 12 के लिए कुल 240 छात्राओं के लिए आसन हैं। कुल 2880 छात्राओं को शिक्षा देने का प्रावधान है। आवासीय विद्यालय में सरकार द्वारा राज्यादेश संख्या—347, दिनांक—2.3.2007 द्वारा आवासीय विद्यालयों के छात्राओं की दैनिक आवश्यकताओं यथा—भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख—रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

छात्रावास—अन्य पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान में 5 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर, रसोईया—सह—सेवक की सेवायें, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधायें सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षण भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के सुसंचालन का उत्तरदायित्व है।

केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत छात्रावास निर्माण योजना संचालित है।

प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र—अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल होने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु पटना, भागलपुर एवं दरभंगा विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में एक—एक प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को 125/—रू0 से 700/—रू0 तक प्रतिमाह की दर से छात्रवृति स्वीकृत करने का प्रावधान है।

प्री—मेडिकल एवं प्री—इंजीनियरिंग एडमिशन जांच परीक्षा की तैयारी के लिए भी प्रशिक्षण के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये है।

बिहार लोक सेवा आयोग, सहायक ग्रेड, आशुलिपिक, लिपिक ग्रेड, अंकेक्षण, लेखा निरीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, आयकर निरीक्षक आदि की परीक्षा में सफलीभूत हाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्र सरकार के दिशा—निदेश के आलोक में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर इस केन्द्रांश में 30 प्रतिशत सीट पर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत निगम—

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन एक इकाई है, जिसकी स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन वर्ष 1993 में किया गया। इस निगम का मूल उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के सदस्यों का आर्थिक उत्थान करना है। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य का चैनेलाईजिंग एजेन्सी है। इस निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से 85—90 प्रतिशत सावधिऋण (टर्न लोन) तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई हिसा पूंजी से (5—10 प्रतिशत) मार्जिनमनी के रूप में राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपये की ब्लॉक गारंटी (Block Govt. Guarantee) उपलब्ध करायी गई है तथा साथ—ही—साथ निगम को अधिकृत हिस्सा पूंजी मद में 25.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006—07 तक 14.36 करोड़ रू0 हिस्सा पूंजी अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

अब तक निगम द्वारा सावधिऋण मद में 6204 लाभार्थियों के बीच 28.97 करोड़ रू0 वितरित किया गया है।

इस निगम के उद्देश्य निम्नवत हैं—

पिछड़े वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक विकास की योजना लेना आर्थिक विकास की योजनाओं हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मापदण्ड के आधार पर पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को तकनीकी तथा वित्तीय योजनाओं हेतु ऋण मुहैया किया जाना। पिछड़े वर्ग के सदस्यों को तकनीकी/प्रोफेशनल शिक्षा के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना तथा समय—समय पर प्रशिक्षण आदि देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना।

निगम द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जाती है—

(1)स्वीकृत सामान्य योजनाएं
(2)स्वर्णिम योजना
(3)शिक्षा ऋण योजना
(4)स्वयं सक्षम योजना
(5)माइक्रो फाईनेन्स योजना
(6)विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना

विभाग के कार्यों/संचिकाओं के निष्पादन हेतु संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है–

क्रम सं0	पदनाम एवं श्रेणी
1	प्रधान सचिव/सचिव (भा0 प्र0 से0)
2	विशेष/अपर/संयुक्त सचिव (भा0 प्र0 से0)
3	उपसचिव (सहायक संयुक्त संवर्ग से 1, वि0 प्र0 से0 संवर्ग से 1)
4	अवर सचिव (सहायक संयुक्त संवर्ग से 1, वि0 प्र0 से0 संवर्ग से 1)
5	प्रधान आप्त सचिव (सचिव के सचिव)
6	निजी सहायक
7	प्रशाखा पदाधिकारी
8	सहायक
9	उच्च वर्गीय लिपिक
10	निम्न वर्गीय लिपिक
11	अनुसेवक/आदेशपाल
12	चौकीदार
13	ट्रेजरी सरकार
14	वाहन चालक
15	डाटा इंट्री ऑपरेटर

अध्याय–3 (मैनुअल–2)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति एवं कर्त्तव्य।

1. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य का विवरणी निम्न प्रकार है–

पदनाम	सचिव
शक्तियॉ	प्रशासकीय–बिहार सेवा संहिता, बिहार कार्यपालिका नियमावली एवं सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियॉ। वित्तीय–बिहार वित्तीय नियमावली में प्रदत्त शक्तियॉ एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदत्त सभी वित्तीय शक्तियॉ। अन्य–ढाई करोड़ रूप्ये की लागत वाली नई योजना, स्कीमों किी स्वीकृति (बशर्ते कि बजटीय प्रावधान हो तथा योजना का समावेश विभागीय योजना आलेख में हो)
कर्त्तव्य	बिहार कार्यपालिका नियमावली मं निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन।
पदनाम	निदेशक
शक्तियॉ	प्रशासकीय– बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष को प्रदत्त सभी प्रशासकीय शक्तियॉ।
कर्त्तव्य	बिहार कार्यपालिका नियमावली मं निर्धारित सभी कार्यों का सम्पादन।

अध्याय–4 (मैनुअल–3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

1. लोक प्राधिकरण अथवा अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करायें (यह सूचना प्रति अभिलेख के लिए पृथक से प्रस्तुत करें।)

अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार
बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल, यात्रा भत्ता नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बिहार सेवा संहिता, बिहार पेंशन नियमावली, सचिवालय अनुदेश बोर्ड, प्रकीर्ण नियमावली, रेकर्ड मैनुअल, कार्यपालिका नियमावली, विभागीय कम्पेडियम इत्यादि।	

निम्न में से किसी एक प्रकार को चुनें (नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख अन्य)।

अभिलेख का परिचय		पुस्तक के रूप में
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका, अभिलेख की प्रति कहां से प्राप्त हो सकते हैं।	पता, दूरभाष, फैक्स, ई–मेल अन्य।	खुले बाजार से ।

अध्याय–5 (मैनुअल–4)

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी, लोकसूचना पदाधिकारी तथा सहायक लोकसूचना पदाधिकारी का विवरण–

1	अपीलीय प्राधिकारी	श्री विजय प्रकाश, प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
2	लोक सूचना पदाधिकारी	श्री राजदेव शर्मा, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
3	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी	श्री अमरेश कुमार सिन्हा, प्रशाखा पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

निगम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निगम के स्तर पर अपीलीय प्राधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी, सहायक लोक सूचना पदाधिकारी

अध्याय–6 (मैनुअल–5)

लोक प्राधिकारी के पास या इनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रव (categories) के अनुसार विवरण।

नीति निर्धारण हेतु

1. लोक प्राधिकार के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों को देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग करें। साथ ही यह भी बतायें कि दस्तावेजों कहॉ उपलबध रहते हैं। जैसे कि सचिव, स्तर पर, निदेशालय स्तर पर अन्य। (कृप्या अन्य का उपयोग करने के स्थान पर स्तर का उल्लेख करें)।

क0	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक/नियंत्रणाधीन
1	पंजी	भंडार पंजी, इतिहास पंजी, वेतन निस्तार पंजी, विपत्र पत्र पंजी, आकस्मिक पंजी, स्टाम्प पंजी, निर्गत पंजी, चपरासी बही, सहायकों का लॉग बूक, गति पंजी, आकस्मिक अवकाश पंजी, मनी रसीद, रोकड़ पंजी, मैंसेंजर पंजी, आवंटन पंजी एवं सेवा पुस्त।	लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से	सचिवालय स्तर पर सचिव। निदेशालय स्तर पर निदेशक। जिला स्तर पर प्रोग्राम पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सरक्षा। प्रखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

अध्याय–7 (मैनुअल–6)

बोर्ड, परिषदों, व्यक्तियों एवं अन्य निकायों का विवरण

कृपया लोक प्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रारूप के आधार पर दें।

संबद्ध संस्था का नाम एवं पता– बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, चतुर्थ तल, सोन भवन, वीरचंद पटेल पथ, पटना।

संबद्ध संस्था का प्रकार– निगम

संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय– बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन एक इकाई है, जिसकी स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन वर्ष 1993 में किया गया। इस निगम का मूल उद्देश्य राज्य के पिछड़े वर्ग के सदस्यों का आर्थिक उत्थान करना है। यह निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य का चैनेलाईजिंग एजेन्सी है। इस निगम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से 85–90 प्रतिशत सावधिऋण (टर्न लोन) तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई हिसा पूंजी से (5–10 प्रतिशत) मार्जिनमनी के रूप में राज्य के पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम से ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रूपये की ब्लॉक गारंटी (Block Govt. Guarantee) उपलब्ध करायी गई है तथा साथ–ही–साथ निगम को अधिकृत हिस्सा पूंजी मद में 25.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 तक 14.36 करोड़ रू0 हिस्सा पूंजी अंशदान के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

अब तक निगम द्वारा सावधिऋण मद में 6204 लाभार्थियों के बीच 28.97 करोड़ रू0 वितरित किया गया है।

इस निगम के उद्देश्य निम्नवत हैं–

पिछड़े वर्ग के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक विकास की योजना लेना आर्थिक विकास की योजनाओं हेतु सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मापदण्ड के आधार पर पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को तकनीकी तथा वित्तीय योजनाओं हेतु ऋण मुहैया किया जाना। पिछड़े वर्ग के सदस्यों को तकनीकी/प्रोफेशनल शिक्षा के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना तथा समय–समय पर प्रशिक्षण आदि देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाना।

निगम द्वारा निम्न योजनाएं संचालित की जाती है–

(1)स्वीकृत सामान्य योजनाएं
(2)स्वर्णिम योजना
(3)शिक्षा ऋण योजना
(4)स्वयं सक्षम योजना
(5)माइक्रो फाईनेन्स योजना
(6)विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना

अध्याय–9 (मैनुअल–8)
निर्णय होने की प्रक्रिया।

1. किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है (सचिवालय मैनुअल और विभागीय मैनुअल के नियमों आदि नियमों का उल्लेख किया जा सकता है):– सचिवालय अनुदेश कार्यपालिका नियमावली एवं अन्य नियमावली एवं अनुदेशों, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में निर्णय लिए जाते हैं।
2. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिए किस–किस स्तरों पर विचार किया जना है– निर्धारित मापदण्डों एवं प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत निदेशालय स्तर पर संबंधित निदेशक, सचिवालय स्तर पर सचिव एवं राज्य सरकार के स्कतिर पीर विचार किया जाता है।
3. लिये गये निर्णय को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था है:– प्रेस के माध्यम से एवं परिपत्रों के द्वारा।
4. विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति लेने के लिए प्राप्कत की जाती है:– निदेशालय स्तर पर निदेशक, विभाग स्तर पर सरकार एवं कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित शक्ति एवं रू‍प संबंध विभाग एवं मंत्रिमंडल की संस्तुंति प्राप्त की जाती है।
5. अंतिम निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत अधिकारी:– विभागीय सचिव।
6. मुख्य विषय, जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णया लिया जाता है। इसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें।

1. विषय– स्थानान्तरण / पदस्थापन	स्थापना समिति (अराजपत्रित एवं राजपत्रित)
2. दिशा– निदेश (यदि हो तो)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र एवं विभागीय नियमावली के अनुसार
3. निर्णय लेने की प्रक्रिया	समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर सचिव / राज्य सरकार के अनुमोदन के आधार पर किया जाता है।
4. निर्णय लेने में शामिल अधिकारी का पदनाम	सचिव, समाज कल्याण विभाग
5. निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की संपर्क सूचना	
6. निर्णय के विरूद्ध कहां और कैसे अपील करें।	सचिव के आदेश के विरूद्ध विभागीय मंत्री के समक्ष अपील किया जा सकता है।

अध्याय–10 (मैनुअल–9)

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	दूरभाष
1	श्री विजय प्रकाश	प्रधान सचिव	22000–24500	
2	श्री राजदेव शर्मा	अवर सचिव	10000–15200	
3	श्री अमरेश कुमार सिन्हा	प्रशाखा पदा0	10000–15200	
4	श्री पंकज कुमार	सहायक	10000–15200	
5	श्री महेश लाल	सहायक	6500–10500	
6	श्री नंद कुमार सिंह	सहायक	6500–10500	
7	श्री जैनेंद्र कुमार सिन्हा	सहायक	6500–10500	
8	श्री जयभारत प्रसाद	सहायक	6500–10500	
9	श्री विजय शंकर प्रसाद राय	सहायक	6500–10500	
10	श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	सहायक	6500–10500	
11	श्री चन्द्रदेव प्रसाद	सहायक	6500–10500	
12	श्री अनिल कुमार	सहायक	6500–10500	
13	श्री भवेश चन्द्र सिन्हा	सहायक	6500–10500	
14	श्रीमती आशा निर्मला टोप्पो	सहायक	6500–10500	
15	श्री मृत्युंजय कुमार	सहायक	6500–10500	
16	श्री सत्येन्द्र प्रसाद	निजी सहायक	5500–9000	
17	श्री राकेश कुमार	निजी सहायक	5500–9000	
18	श्री जितेन्द्र कुमार	आशुलिपिक	4000–6000	
19	श्री रामविनय सिंह	प्रधान टंकक (उ0व0लिपिक)	6500–10500	
20	श्री राजदेव प्रसाद	उ0व0लिपिक	5000–8000	
21	श्री वीरेन्द्र शर्मा	उ0व0लिपिक	5000–8000	
22	श्री रामस्वरूप पंडित	उ0व0लिपिक	5000–8000	
23	श्री रमेश कुमार	उ0व0लिपिक	4000–6000	
24	श्री द्वारिका प्रसाद	अनुसेवक	2550–3200	
25	श्री सीताराम चौधरी	अनुसेवक	2550–3200	
26	श्री दीनानाथ ठाकुर	अनुसेवक	2550–3200	
27	श्रीमती सुनीता देवी	अनुसेवक	2550–3200	